

18.12.2025:—पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। प्रार्थी अधिवक्ता को लगातार नोट करवाया जा रहा है। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपरिस्थित नही आये। उभयपक्ष अधिवक्ता व उभयपक्ष के उपरिस्थित नही आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
महण्डाधिकारी
गढ़